कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0– 03–19
क्रमांक–212/2017
आरबीई सं0–121/2017
सं0 ई/9/5 \ भाग।–। (चार)

दिनाँक 11–10–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन–फ्लैग स्टेशन भत्ता।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 ई(पी एण्ड ए)।–2017/एसपी–।/जनरल–। दिनांक 05.09.2017 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू0 पी0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

R-4

महाप्रबन्धक

रेलवे मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(P&A)I-2017/SP -1/Genl-1

PC-VII No. 57
RBE No. 121/2017
New Delhi, dated 05.09.2017.

The General Manager ; and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.

Sub: Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government – Flag Station Allowance.

Consequent upon the decisions taken by the government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to revision of allowances, the President is pleased to abolish Flag Station Allowance (Payable to Commercial Staff in charge of Flag Stations where Train passing duties are not involved) as a separate allowance. The eligible employees will now be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance", which shall be governed as under:

a. Extra Work Allowance will be paid at a uniform rate of 2%(two percent) of the basic pay per month.
b. An employee shall receive this allowance for a maximum period of one year, and there should be minimum gap of one year before the same employee is deployed for similar duties again.
c. This allowance shall not be combined i.e. if the same employee is performing two or more such duties and is eligible for 2%(two percent) allowance for each add-on, then the total Extra Work Allowance payable will remain capped at 2%(two percent) of basic pay.

2. These orders shall be effective from 1st July, 2017.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

(Anil Kumar)
Dy. Director/E(P&A)-I
Railway Board.

No. E(P&A)I-2017/SP-1/Genl-1

New Delhi, dated 05.09.2017

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 57
आरबीई सं.121 /2017

सं. ई(पी एंड ए)I-2017/एसपी-I/जनरल-1 नई दिल्ली, दिनांक 05.09.2017

महाप्रबंधक और प्रधान वित्तीय सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन - फ्लैग स्टेशन भत्ता।

भत्तों में संशोधन के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति फ्लैग स्टेशन भत्ते (उन फ्लैग स्टेशनों जहां ट्रेन हैंडलिंग ड्यूटियाँ शामिल नहीं होती हैं, के प्रभारी वाणिज्यिक कर्मचारियों को देय है) को अतिरिक्त भत्ते के रूप में समाप्त करते हैं। पात्र कर्मचारी अब नए प्रस्तावित "अतिरिक्त कार्य भत्ता" के तहत शासित होंगे, जिसे निम्नानुसार शासित किया जाएगा:

क. अतिरिक्त कार्य भत्ता प्रति माह मूल वेतन के 2% (दो प्रतिशत) के समान दर से दिया जाएगा।

ख. किसी कर्मचारी को यह भत्ता अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा, और एक ही कर्मचारी को समान ड्यूटी पुनः देने में न्यूनतम एक वर्ष का अंतर होना चाहिए।

ग. इस भत्ते को संयुक्त न किया जाए यानि यदि एक ही कर्मचारी इस प्रकार की दो या उसे अधिक ड्यूटी कर रहा है और प्रत्येक ड्यूटी के लिए 2% (दो प्रतिशत) भत्ते का पात्र है, तो कुल अतिरिक्त कार्य भत्ता देय मूल वेतन का 2% (दो प्रतिशत) तक ही रहेगा।

2. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से जारी होंगे।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. कृपया पावती दें।

अनिल कुमार
(अनिल कुमार)
उप निदेशक/ई(पी एंड ए)-I
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए)I-2017/एसपी-1/जनरल-1 नई दिल्ली, दिनांक 05.09.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें